किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
एवं लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
के संदर्भ में

बाल मैत्री सूचक
(चाइल्ड फ्रेन्डली इन्डिकेटर्स)

अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

परिकल्पना एवं मार्गदर्शन–

गोविन्द बेनीवाल,
परियोजना निदेशक, अन्ताक्षरी फाउण्डेशन एवं
पूर्व सदस्य,
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर

लेखन–

राजकुमार पालीवाल,
बाल संरक्षण विशेषज्ञ,
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

प्रकाशन–

अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

सहयोग–

यूनीसेफ, राजस्थान

प्रतियां–

500

आवश्यक सूचना–

इस पुस्तिका का प्रकाशन बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल न्यायालय/विशेष न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली को बाल मैत्री बनाने के एक प्रयास के रूप में किया जा रहा है। कृपया इस पुस्तिका में दी गई जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	बाल कल्याण समिति	2–4
3.	किशोर न्याय बोर्ड	5–8
4.	बाल देखरेख संस्थान	9–11
5.	विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस	12–16
6.	बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट)/ अन्य न्यायालय / मजिस्ट्रेट	17–22
7.	विशेष न्यायालय	23–25

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा 0-18 वर्ष के विधि से संघर्षरत बच्चों, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा यौन हिंसा/शोषण से बालकों के संरक्षण हेतु लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किये गए हैं।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा बालक-बालिका के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना, उनके गुप्त अंगों को छूना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से करवाना, अश्लील टिप्पणियां एवं गालियां देना सहित अश्लील सामग्री का संधारण एवं लैंगिक इस्तेमाल के लिए बच्चों की तस्करी भी अपराध के रूप में शामिल किया गया हैं। अधिनियम में बाल मैत्री पुलिस एवं न्यायिक प्रकिया के तहत् प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं पीड़ित बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत् बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रक्रियाएं तथा बाल संरक्षण सेवाओं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (15) के अनुसार ''बाल मैत्री'' शब्द से तात्पर्य ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रूख, पर्यावरण एवं बर्ताव, जो मानवीय, विचारशील और बच्चे के हित में हो तथा बच्चे को प्रिय लगे बाल मैत्री कहलायेगा। धारा 2 (9) के अनुसार ''बच्चे का सर्वोत्तम हित'' से तात्पर्य बच्चों के मूलभूत अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण, भौतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास के संबंध में लिये गये निर्णय से हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 3 में परिभाषित ''बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धान्त'' के

मार्गदर्शन एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के परिपेक्ष्य में समस्त स्टेक होल्डर्स यथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल देखरेख संस्थान, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चिल्ड्रन कोर्ट/ विशेष न्यायालय/अन्य न्यायालय/मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया को बाल मैत्री बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2012 में बाल मैत्री कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 54515 दिनांक 20.01.2017 से उक्त वर्णित स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ संभावित बाल मैत्री सूचक जारी किए गए है।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी बाल मैत्री सूचकों समाहित करते हुये अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर ने विस्तृत बाल मैत्री सूचकों का निर्माण किया है, जिनके क्रियान्वयन से निश्चय ही बाल मैत्री कार्यवाही एवं कार्य-प्रणाली को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

बाल कल्याण समिति

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त वैधानिक प्राधिकरण है। बाल कल्याण समिति के लिए संभावित बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उनकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की परिस्थितियों में सुधार समाज एवं सरकार की प्राथमिक एवं साझी जिम्मेदारी हैं।
- बच्चों का शोषण, हिंसा एवं उत्पीड़न अस्वीकार्य हैं।
- किशोर न्याय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायोचित देखरेख, संरक्षण,कल्याण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना बाल कल्याण समिति का मूल दायित्व है।

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से मित्र एवं हितैषी के रूप में व्यवहार करना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चों पर बातचीत करने के लिए दबाव नहीं बनाना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं

किया जाना।

- बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- बच्चों के अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना तथा परिस्थितियो के अनुरूप कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें बच्चों से अलग रहने हेतु अनुरोध करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना, ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करें।
- समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का समिति कार्यालय एवं बच्चों से संवाद के समय तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- प्रत्येक स्तर पर बच्चों की गरिमा एवं आत्मसम्मान को सुनिश्चित करना।
- बच्चों के निजता एवं गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनकी बातों का अवरोध नहीं करना, पूछे गये प्रश्नों की पुनरावृति नहीं करना और उनकी बातों पर विचार करना।
- बच्चों को अपनी बात अपने शब्दों में बताने के लिए प्रोत्साहित करना।
- एक समय में एक बच्चे के साथ संवाद करना तथा संवाद/कार्यवाही के दौरान प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों का ही मौजूद रहना सुनिश्चित करना।
- बच्चों से जुड़े मामले/प्रकरण में बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा बच्चे के परिजन/भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में कार्यवाही करना।
- बच्चे के प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों पर बच्चे के हस्ताक्षर कराने से पूर्व बच्चे को दस्तावेजों में उल्लेखित विवरण एवं उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना तथा उक्त तथ्य के बारे में बच्चे की असहमति होने पर उसे लिखे जाने वाले विकल्प के बारे में बताना।
- अनाथ, समर्पित एवं अभ्यर्पित बच्चों को नियमानुसार निर्धारित अवधि में दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र करना।

- बच्चों के प्रकरण का नियमानुसार निर्धारित अवधि या उससे कम अवधि में निपटारा करना।
- प्रत्येक माह में नियमानुसार बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण कर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं आवासिक सुविधाओं का जायजा लेना।
- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस फाईल संधारित करना।
- गुमशुदा एवं प्राप्त बच्चों की सूचना मासिक स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से साझा करना।
- यदि परिवार के सदस्य द्वारा बच्चों के साथ लैंगिंक हिंसा की गई है, तो बच्चों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना।
- बाल देखरेख संस्थान में रह रहे बच्चों की दुर्व्यवहार/हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बच्चों को यथासंभव सपोर्ट पर्सन की सेवाएं एवं मुआवजा उपलब्ध करवाना।
- भाई-बहिनों को यथासंभव एक ही बाल देखरेख संस्थान रखना तथा इसकी अनुपलब्धता में सतत् रूप से भाई-बहिनों की मुलाकात करवाना।
- बच्चों एवं उनके परिवारजनों को काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बच्चों के लिए अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बच्चों के विरुद्ध हिंसा एवं दुव्यर्वहार के मामलों में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- बच्चों को विशेषज्ञों यथा अनुवादक, दुभाषिया, मनोचिकित्सक एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराना।
- विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों तक पहुंच कर उन्हें अपने संरक्षण में लेना।
- बालिकाओं से बातचीत करने में यथासंभव महिला सदस्य का सहयोग लेकर प्राथमिकता के साथ कार्य करना।
- बच्चों को बाल देखरेख संस्थान में प्रवेशित कराना अन्तिम विकल्प के रूप में चुनना तथा गैर संस्थागत देखभाल को प्रोत्साहित करना।
- बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित

करना।

- बाल देखरेख संस्थाओ में बाल समितियों का गठन एवं संचालन सुनिश्चित करना।
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एवं पहचान सम्बन्धित दस्तावेज सुनिश्चित करना।
- अन्य राज्य एवं जिलों के बच्चों को जल्द से जल्द उनके गृह राज्य एवं जिले में भेजना एवं नियमित अन्तराल पर बच्चों का फॉलोअप करना।
- बच्चों के मामलों के निपटान पर बच्चे से संबंधित फाईल के दस्तावेज मय अन्तिम आदेश की प्रति बच्चे/संबंधित व्यक्ति को देना।
- बच्चों की विभिन्न आवश्यकतों की पूर्ति सहित उनका चहुँमुखी विकास सुनिश्चित करना।

वातावरण (Environment)

- बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं बच्चों के बैठने का स्थान एक समान होना चाहिए, जिसमें बच्चे से आमने-सामने बैठ कर बात की जा सके तथा बच्चा स्वयं असहज महसूस नहीं करें।
- बाल कल्याण समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम, दूरभाष नम्बर एवं समिति के बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना।
- समिति के नोटिस बोर्ड पर दैनिक वाद सूची में सुनवाई पर आने वाले बच्चों का नाम प्रदर्शित नहीं होना।
- समिति के कार्यालय के बाहर फ्री लीगल एड लॉयर एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।
- समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अधिवक्ता का सिविल ड्रेस में होना।
- समिति परिसर की दीवारों पर बच्चों से जुड़े चित्रण का प्रदर्शन होना।
- समिति कार्यालय में बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से जुड़े खिलौने उपलब्ध होना।
- समिति कार्यालय में पुस्तकालय होना, जिसमें बच्चों से जुड़े विषय एवं कानून संबंधी किताबे उपलब्ध हो।
- समिति कार्यालय के 200 मीटर की दूरी में शराब, तम्बाकू उत्पाद, नशीले पदार्थ का विक्रय नहीं होना।

किशोर न्याय बोर्ड

विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई, निस्तारण और पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त वैधानिक प्राधिकरण है। किशोर न्याय बोर्ड के लिए संभावित बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों द्वारा किए गए अपराध एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वाग्रह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की परिस्थितियों में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी समाज एवं सरकार की हैं।
- बच्चों में सुधारात्मक परिवर्तन की संभावना के प्रति सकारात्मक विचार रखना।
- बच्चों के साथ कार्य करते समय ''बच्चे ने ऐसा कृत्य क्यों किया हैं'' ना कि ''बच्चे ने क्या किया है'' पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।
- किशोर न्याय बोर्ड का मूल दायित्व बच्चों के सर्वोत्तम हित, निर्दोषिता की उपधारणा, सकारात्मक उपाय, सहभागिता एवं नये सिरे से शुरूआत करने के सिद्धान्त पर विशेष ध्यान देते हुए अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों में सुधार लाना एवं उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी के रूप में व्यवहार करना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बोर्ड की कार्यवाही के दौरान बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।

- बोर्ड में प्रस्तुत होने वाले बच्चों को विधि से संघर्षरत बच्चे के नाम संबोधित करना तथा उसके साथ वयस्क अपराधी जैसा व्यवहार नहीं करना।
- बच्चों के अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना तथा परिस्थितियो के अनुरूप कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें बच्चों से अलग रहने हेतु अनुरोध करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना, ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करें।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना।
- प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता व अन्य कर्मचारियों का सिविल ड्रेस में होना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों का बोर्ड कार्य समय एवं बच्चों से संवाद के समय तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बोर्ड के प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्यों का बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- प्रत्येक स्तर पर बच्चों की गरिमा एवं आत्मसम्मान को सुनिश्चित करना।
- बच्चों के निजता एवं गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, कहीं गई बातों का अवरोध नहीं करना, पूछे गये प्रश्नों की पुनरावृति नहीं करना और उसकी बातों पर विचार करना।
- बच्चों से जुड़े मामले/प्रकरण में बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा बच्चे के परिजन/भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में कार्यवाही करना।
- बच्चे के प्रारम्भिक आंकलन के निर्धारण के समय विशेषज्ञों की राय लेना।
- बाल सहज वातावरण में बाल अनुकूल रीति से सवाल-जवाब करना।
- बच्चे के प्रकरण में उसके सामाजिक परिवेश, प्रभाव सहित अन्य तथ्यों का भी संज्ञान लेना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।

- बच्चों के विरुद्ध हिंसा एवं दुव्यर्वहार के मामलों में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों की प्रक्रियानुसार उम्र निर्धारण करना।
- बच्चों पर बातचीत/साक्षात्कार करने के लिए दबाव नहीं बनाना।
- बच्चे के प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों पर बच्चे के हस्ताक्षर कराने से पूर्व बच्चे को दस्तावेजों में उल्लेखित विवरण एवं उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना तथा उक्त तथ्य के बारे में बच्चे की असहमति होने पर उसे लिखे जाने वाले विकल्प के बारे में बताना।
- बालिका से बातचीत करने में यथासंभव महिला सदस्य का सहयोग लेकर प्राथमिकता के साथ कार्य करना।
- बाल देखरेख संस्थान में रह रहे बच्चों की दुर्व्यवहार/हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बच्चों के लिए अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराना।
- छोटे अपराध करने वाले बच्चों के मामलों में संक्षिप्त कार्यवाही कर तत्काल निस्तारित करना।
- छोटे अपराधों में लिप्त विधि से संघर्षरत बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा मानते हुए बच्चे को बाल कल्याण समिति या परिवार को सौंपना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों एवं अपराध कारित करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनकी आयु संदेह में है, कि वे वयस्क है या बच्चा, को जेल नहीं भेजना।
- बच्चों को बाल देखरेख संस्थान में प्रवेशित कराना अन्तिम विकल्प के रूप में चुनना तथा गैर संस्थागत देखभाल को प्रोत्साहित करना।
- बच्चों को प्राथमिकता से सामुदायिक सेवा एवं ग्रुप काउंसलिंग सेवाएं (रिस्टोरेटिव जस्टिस सहित) से जोड़ना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस फाईल संधारित करना।
- बच्चों के प्रकरण का नियमानुसार में निर्धारित अवधि या उससे कम अवधि में निपटारा करना।
- प्रत्येक माह में नियमानुसार बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण कर बच्चों दी जाने वाली सुविधाओं एवं आवासिक सुविधाओं का जायजा लेना।
- बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना का निर्माण सुनिश्चित करना।

- बाल देखरेख संस्थाओ में बाल समितियों का संचालन सुनिश्चित करना।
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र एवं पहचान सम्बन्धित दस्तावेज सुनिश्चित करना।
- बच्चों को विशेषज्ञों यथा अनुवादक, दुभाषिया, मनोचिकित्सक एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वयस्क अपराधियों हेतु निर्मित जेलों का निरीक्षण कर विचाराधीन बच्चों के मामलों को बोर्ड में स्थानान्तरित करवाना।
- बच्चों की विभिन्न आवश्यकतों की पूर्ति सहित उनका चहुँमुखी विकास सुनिश्चित करना।

वातावरण (Environment)

- बोर्ड के कार्यालय का परिसर सामान्य न्यायालय जैसा नहीं होना।
- किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, सदस्यों एवं बच्चों के बैठने का स्थान एक समान होना चाहिए, जिसमें बच्चों से आमने-सामने बैठ कर बात की जा सके तथा बच्चा स्वयं असहज महसूस नहीं करें।
- बोर्ड के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट एवं सदस्यों का नाम, दूरभाष नम्बर एवं बोर्ड के बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना।
- किशोर न्याय बोर्ड के कार्यालय के बाहर नि:शुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता का बोर्ड प्रदर्शित होना।
- किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय के 200 मीटर की दूरी में शराब, तम्बाकू उत्पाद, नशीले पदार्थ का विक्रय नहीं होना।
- बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर दैनिक वाद सूची में सुनवाई पर आने वाले बच्चों का नाम प्रदर्शित नहीं होना।
- बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल एड लॉयर एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।
- बोर्ड परिसर की दीवारों पर बच्चों से जुड़े चित्रण का प्रदर्शन होना।
- बोर्ड कार्यालय में बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन से जुड़े खिलौने उपलब्ध होना।
- बोर्ड कार्यालय में पुस्तकालय होना, जिसमें बच्चों से जुड़े विषय एवं कानून संबंधी किताबे उपलब्ध हो।

बाल देखरेख संस्थान

विधि से संघर्षरत बच्चों एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, सुधार एवं पुनर्वास के लिए अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न तरह की बाल देखरेख संस्थाओं के संचालन का प्रावधान किया गया है। उक्त संस्थाओं के लिए संभावित बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की परिस्थितियों में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी समाज एवं सरकार की हैं।
- बच्चों का शोषण, हिंसा एवं उत्पीड़न अस्वीकार्य हैं।
- बच्चों में सुधारात्मक परिवर्तन की संभावना के प्रति सकारात्मक विचार रखना।

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना। ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करें।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना।

- संस्थान के कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड/मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- संस्थान के कर्मचारियों का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- कार्मिकों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- प्रत्येक स्तर पर बच्चों की गरिमा एवं आत्मसम्मान को सुनिश्चित करना।
- बच्चों के निजता एवं गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- बाल देखरेख संस्थान के संचालन में बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- बच्चों की दैनिक दिनचर्या का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस फाइल संधारित करना तथा बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- बाल देखरेख संस्थान में रात्री के समय किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाना।
- बाल देखरेख संस्थान में बच्चों को आयु एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के परिपेक्ष्य में अपराध की प्रकृति को ध्यान रखते हुए उनके रहने का प्रबंध करना।
- बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों को नियमित शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ना।
- बच्चों की सुझाव पेटी से प्राप्त सुझावों/शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- बच्चों को खेलकूद एवं मनोरंजन की गतिविधियों में प्रोत्साहित करना।
- बच्चों के परिवार को तलाशना तथा शीघ्रताशीघ्र पुनर्वास करना।

- बच्चों एवं उनके भाई-बहिनों/परिजन के मध्य नियमित संवाद स्थापित करना एवं निर्धारित अन्तराल पर उनकी मुलाकात करना।
- बच्चों को सुरक्षित रहने एवं उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना।
- बच्चों आये परिवर्तनों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित करना।
- बाल देखरेख संस्थान में बाल समितियों एवं प्रबंध समितियों का संचालन करना।
- नवजात शिशुओं एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए उचित देखभाल एवं चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करना।
- बच्चों को जन्म प्रमाण-पत्र अन्य पहचान से संबंधित दस्तावेज तैयार करवाना।
- बच्चों को उनकी इच्छानुसार भोजन का प्रबंधन करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बच्चों को विशेषज्ञों यथा काउंसलर, अनुवादक, दुभाषिया, मनोचिकित्सक एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारियों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता, अनुभव का निर्धारण एवं नियुक्ति पूर्व उनका पुलिस सत्यापन करवाना।
- बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारियों हेतु बाल संरक्षण नीति का निर्माण करना।
- बाल देखरेख संस्थान में नियमानुसार प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रवेश वर्जित करना।
- बाल देखरेख संस्थान में बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को न्यून स्तर पर लाना तथा शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- संस्थान में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होने पर संभावित अपराधी एवं बच्चे को अलग करना।
- बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों को संस्थागत देखरेख से विमुख करते हुए पारिवारिक देखभाल से जोड़ना।
- बाल देखरेख संस्थान के बेहतरीन कार्यों का संकलन कर उसे अन्य बाल देखरेख संस्थानों के साथ साझा करना।

- बाल देखरेख संस्थान की दिवारों पर बच्चों के ज्ञानवर्धक, मनोंरजन एवं बच्चों को उत्साहित करने वाली पेटिंग्स प्रदर्शित होना।
- बाल देखरेख संस्थान में बच्चों हेतु पुस्तकालय का होना।
- बाल देखरेख संस्थान की बनावट एवं वातावरण का बाल मैत्री होना।
- बालिकाओं के लिए संस्थान में महिला कर्मचारी होना।
- बाल देखरेख संस्थान में निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की उपलब्धता।
- बाल देखरेख संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चाइल्ड लाइन 1098, बोर्ड, समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों के नाम, दूरभाष नम्बर एवं बोर्ड/समिति के बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना।
- बाल देखरेख संस्थान में बच्चों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का प्रदर्शन होना।
- बाल देखरेख संस्थान में बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सुझाव पेटी का संधारण करना।
- बाल देखरेख संस्थान के 200 मीटर की दूरी में शराब, तम्बाकू उत्पाद, नशीले पदार्थ का विक्रय नहीं होना।

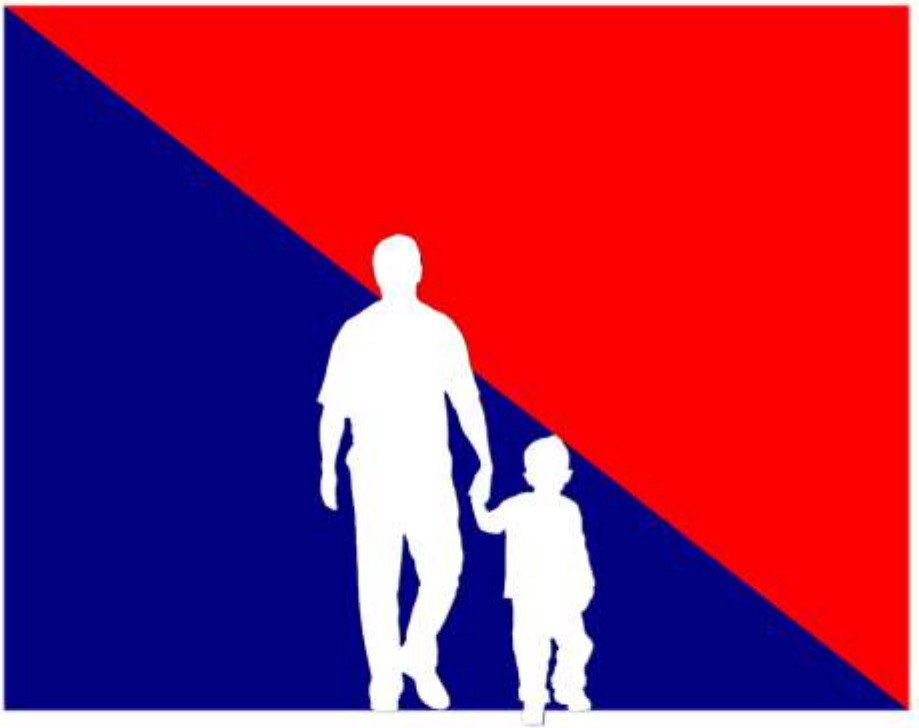

विशेष किशोर पुलिस इकाई
अथवा स्थानीय पुलिस

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, विधि से संघर्षरत बच्चों एवं पीड़ित बच्चों के मामलों में त्वरित, संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना एवं प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस के लिए संभावित बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विनम्रता से व्यवहार करना।
- बच्चों को सुनना एवं उसके साथ सामान्य अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करना।
- बच्चों का शोषण, हिंसा एवं उत्पीड़न अस्वीकार्य हैं।
- बच्चों के साथ कार्य करते समय ''बच्चे ने ऐसा कृत्य क्यों किया हैं'' ना कि ''बच्चे ने क्या किया है'' पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

वातावरण (Environment)

- बच्चों से बातचीत करने के लिए पुलिस थाने में अलग बाल मैत्री स्थान/कमरा होना।
- बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनमें भोजन, पानी की व्यवस्था करना शामिल हैं।
- बालिकाओं से बातचीत करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना।
- पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चाइल्ड लाइन 1098, बोर्ड, समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, दूरभाष नम्बर एवं बोर्ड/समिति के बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना।
- पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल एड लॉयर, पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे एवं पीड़ित बच्चे के संबंध में

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना, ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करें।
- पुलिस कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का कार्यस्थल पर तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- पुलिस कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।

- प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों के मामलों को देखने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपलब्ध होना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों से जुड़ी कार्यवाही के दौरान साधारण कपड़ों (सिविल ड्रेस) में होना।
- सक्रियता एवं समयबद्धता से गुमशुदा एवं प्राप्त बच्चों के परिवार को तलाशने की कार्यवाही करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस डायरी/फाईल संधारित करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा चुने गए स्थान पर विनम्रता से बयान दर्ज करना।
- बालिकाओं के प्रकरणों में महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लेना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- पुलिस शिनाख्त/पहचान के दौरान अपराधी का पीड़ित बच्चों से संपर्क नहीं होना।
- बच्चों के अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना तथा परिस्थितियो के अनुरूप कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें बच्चों से अलग रहने हेतु अनुरोध करना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- किसी भी स्थिति में बच्चों को रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जाना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को सपोर्ट पर्सन एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति के सामने बच्चों द्वारा बोले गए कथन को हूबहू लेखबद्ध करना।
- बच्चों के कथन को ऑडियो-विडियों माध्यम से अभिलिखित करना।
- पुलिसकर्मियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को न्यून स्तर पर लाना तथा शिकायतों पर त्वरित

कार्यवाही करना।

- पुलिस थाने में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का नहीं होना सुनिश्चित करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों एवं उसके परिवार को नि:शुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।
- लैंगिंक हमले से पीड़ित बच्चों का शीघ्रताशीघ्र चिकित्सा परीक्षण कराना तथा उपचार सुनिश्चित करवाना।
- पीड़ित बच्चों तथा उसके परिवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना एवं अन्य योजना के बारे में जानकारी देना।
- शोषण/हिंसा से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में बच्चों तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देना, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराना।

विधि से संघर्षरत बच्चों के संबंध में

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- पुलिस कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड/मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना। ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करें।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- पुलिस कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों पर प्रशिक्षित होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों के मामलों को देखने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपलब्ध होना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों से जुड़ी कार्यवाही के दौरान साधारण कपड़ों (सिविल ड्रेस) में होना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस डायरी/फाईल संधारित करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बालिकाओं के प्रकरणों में महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लेना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- किसी भी स्थिति में बच्चों को रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जाना।
- बच्चों एवं उनके परिवार को पैरा लीगल वॉलेटियर एवं लीगल एड लॉयर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति के सामने उनके द्वारा बोले गए कथन को हूबहू लेखबद्ध करना।

- बच्चों के कथन को ऑडियो-विडियों माध्यम से अभिलिखित करना।
- विधि से संघर्षरत बालिकाओं को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं करना।
- बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाना तथा लॉकअप में नहीं रखना।
- बच्चों को अपराध स्वीकार करने तथा किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों को सुनना एवं उसके साथ सामान्य अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों को यथासंभव पुलिस थाने स्तर पर जमानत पर छोड़ना।
- वैश्यावृति एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त बालिकाओं को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका मानकर बाल कल्याण समिति को सौंपना।
- पुलिसकर्मियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों एवं उसके परिवार को निःशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।

बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट)/ अन्य न्यायालय/मजिस्ट्रेट

विशेष परिस्थितियों में विधि से संघर्षरत बच्चों एवं जघन्य अपराधों से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों के विचारण के लिए अधिनियम के तहत् जिला स्तर पर बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) की स्थापना का प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 19 एवं आदर्श नियम 13(7)(3), 13(7)(5) एवं 13(8)(1) के अंतर्गत बाल न्यायालय की कार्यवाही बाल मैत्री वातावरण में करने का प्रावधान हैं। अधिनियम के तहत् छोटे एवं गम्भीर अपराधों से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों के विचारण एवं मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चों के बयान दर्ज करने हेतु अधिनियम में बाल मैत्री प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए आदर्श नियम 54(12), 54(18) में आवश्यक प्रावधान वर्णित किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बच्चों के विरूद्ध विभिन्न श्रेणी के अपराधों के मामलों के विचारण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चिन्हित सत्र न्यायालयों को बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) के रूप में घोषित किया गया है। उक्त बाल न्यायालयों द्वारा ही विशेष परिस्थितियों में विधि से संघर्षरत बच्चों एवं जघन्य अपराधों से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों के विचारण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) के रूप में कार्य किया जायेगा।

उक्त बाल न्यायालय/अन्य मजिस्ट्रेट के लिए विधि से संघर्षरत बच्चों एवं पीड़ित/साक्षी बच्चों के संदर्भ में संभावित एवं सुझावात्मक बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- किशोर न्याय अधिनियम सुधारात्मक और सामाजिक पुर्नस्थापना का कानून हैं।

- मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों का बच्चों के प्रति विनम्र होना।

वातावरण (Environment)

- न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्ता का नाम सुनवाई की तारीख एवं निश्चित समय अंकित होना।
- न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर दैनिक वाद सूची में सुनवाई पर आने वाले बच्चों का नाम प्रदर्शित नहीं होना।
- बच्चों से बातचीत करने के लिए एवं बयान लेने के न्यायालय में अलग बाल मैत्री स्थान/ कमरा होना।
- बच्चे के परिजन/भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल एड लॉयर एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।
- पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से पीड़ित बच्चे को न्यायालय का भ्रमण कराकर सहज बनाना।
- बच्चों के माता-पिता, संरक्षक या उसके भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में बंद कमरे में सुनवाई करना।

विधि से संघर्षरत बच्चों के संबंध में -

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।

- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय एवं चरित्र पर हमला करने वाले शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों को सुनना एवं उसके साथ सामान्य अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक आंकलन गम्भीरता से पुनर्विचार करना तथा विशेषज्ञों की राय लेना।
- बच्चों को आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।
- न्यायालय द्वारा मामले का विचारण बाल सहज वातावरण में बाल अनुकूल रीति से सवाल-जवाब करना।
- बच्चे के प्रकरण में उसके सामाजिक परिवेश, प्रभाव सहित अन्य तथ्यों का भी संज्ञान लेना।
- बच्चों के बयानों की उपेक्षा नहीं करना तथा बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों को साक्ष्य/परीक्षण के लिए बार-बार न्यायालय में नहीं बुलाना।
- बच्चे के प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों पर बच्चे के हस्ताक्षर कराने से पूर्व बच्चे को दस्तावेजों में उल्लेखित विवरण एवं उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना

तथा उक्त तथ्य के बारे में बच्चे की असहमति होने पर उसे लिखे जाने वाले विकल्प के बारे में बताना।

- बच्चों में सुधार के लिए सामुदायिक सेवा संबंधी प्रावधानों का उपयोग करना।
- बच्चों को यथासंभव जेल नहीं भेजना।
- यदि आवश्यक हो, तो परीक्षण/साक्ष्य लेखबद्ध करते समय अनुवादक, दुभाषिया एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं लेना।
- अधिवक्ता/न्यायालय कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बच्चे एवं व्यस्क के संयुक्त अपराध के मामलों में बच्चे के मामले का पृथक से विचारण करना।
- न्यायालय परिसर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार/प्रताड़ना नहीं होना सुनिश्चित करना।
- बच्चों एवं उनके परिवार को पैरा लीगल वॉलेटियर एवं फ्री लीगल एड लॉयर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विधिक सेवा की गुणवत्ता एवं संतोषजनक स्थिति को जानना।
- बच्चों तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देना।
- न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई बंद कमरे में सुनवाई करना।
- बच्चों को न्यायिक कार्यवाही के दौरान लिये गए निर्णयों से सूचित करना।
- बच्चों में सुधार की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- बाल न्यायालय द्वारा बच्चों एवं उसके साथ आने वाले व्यक्ति को आने-जाने का किराया देना।
- बच्चों के मामलों का समयबद्धता से निस्तारण सुनिश्चित करना।

पीड़ित/साक्षी बच्चों के संबंध में बाल न्यायालय/अन्य न्यायालय/मजिस्ट्रेट-

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।

- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- न्यायालय के कर्मचारियों का बच्चों के प्रति संवेदनशील होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- लैंगिंक हमले से पीड़ित बच्चों का शीघ्रताशीघ्र चिकित्सा परीक्षण कराना तथा उपचार सुनिश्चित करवाना।
- बच्चों को आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- मजिस्ट्रेट द्वारा शोषण/हिंसा से पीड़ित बच्चों के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् 164 के बयान एक अलग कमरे में, गृह या संस्था वहां वह रह रहा है या उसके बच्चे घर पर लिया जाना।
- मजिस्ट्रेट द्वारा लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बच्चों के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् 164 के बयान बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें बच्चे को विश्वास हों, की उपस्थिति में बच्चे द्वारा बोले गये अनुसार बयान लेखबद्ध

करना।

- लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बच्चों के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् 164 के बयान के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता का उपस्थित नहीं होना।
- यदि परिवार के सदस्य द्वारा बच्चे के साथ हिंसा की गई है, तो बच्चे के संरक्षण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बच्चों की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रक्रियानुसार करना।
- बच्चों एवं उनके परिवार को पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं फ्री लीगल एड लॉयर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति या सपोर्ट पर्सन की उपस्थिति में बच्चे द्वारा बोले गए कथन को अक्षरशः हूबहू लेखबद्ध करना।
- बच्चों के अन्य राज्य में निवास करने की स्थिति में उसके बयान/साक्ष्य/परीक्षण ऑडियो-विडियों माध्यम से अभिलिखित करना।
- बच्चों के परिजनों को बच्चे की सामाजिक एवं मानसिक प्रगति से अवगत कराना।
- बच्चों की उम्र के आधार पर उसके बयानों की उपेक्षा नहीं करना।
- बच्चों को बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों से आक्रामक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं करना।
- बच्चों को विचारण के दौरान बीच-बीच में अन्तराल की अनुमति देना।
- बच्चों को साक्ष्य/परीक्षण के लिए बार-बार न्यायालय में नहीं बुलाना।
- प्रश्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से बच्चों के समक्ष रखना।
- छोटे बच्चों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करना।
- यदि आवश्यक हो, तो परीक्षण/साक्ष्य लेखबद्ध करते समय अनुवादक, दुभाषिया एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं लेना।
- बच्चें एवं अपराधी को एक-दूसरे के सामने नहीं लाया जाना।
- बच्चे के साक्षात्कार के दौरान बच्चे के मानसिक या शारीरिक हित के प्रति नुकसानदायक किसी फोटोग्राफ या बयान का उपयोग नहीं होना।
- बालिकाओं से बातचीत करने के लिए महिला अधिवक्ता/कर्मचारी का होना।

- अधिवक्ता/न्यायालय कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- न्यायालय परिसर में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/प्रताड़ना नहीं होना सुनिश्चित करना।
- बच्चे एवं उसके परिवार को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विधिक सेवा की गुणवत्ता एवं संतोषजनक स्थिति को जानना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को सपोर्ट पर्सन एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सेवाएं की उपलब्धत कराना।
- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत् पीड़ित बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तरिम अथवा पूर्ण मुआवजा जारी करना।
- बच्चों एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के दौरान लिये गए निर्णयों से सूचित करना।
- बच्चों की शिक्षा के प्रभावित होने को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।
- शोषण/हिंसा से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में बच्चों तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देना।
- बाल न्यायालय द्वारा बच्चों एवं साथ आने वाले व्यक्ति को आने-जाने का किराया देना।
- प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण करना।
- बच्चों एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को विधिक विकल्प की जानकारी देना।

विशेष न्यायालय

लैंगिंक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् लैंगिंक हिंसा/शोषण से पीड़ित बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 33 (4) विशेष न्यायालय की कार्यवाही बाल मैत्री वातावरण में करने का प्रावधान हैं।

राज्य सरकार द्वारा लैंगिंक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के अपराधों के मामलों के विचारण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चिन्हित सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है। उक्त विशेष न्यायालयों के लिए संभावित एवं सुझावात्मक बाल मैत्री सूचक निम्नलिखित है:-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय एवं चरित्र पर हमला करने वाले शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।
- मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों का बच्चों के प्रति विनम्र होना।

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- अधिवक्ता एवं अन्य न्यायालयिक कर्मचारियों का तम्बाकू अथवा अन्य

मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और कार्यवाही करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना, जब तक ऐसा करना बच्चे के हित में ना हों।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- बच्चों एवं उनके परिवार को पैरा लीगल वॉलेटियर एवं फ्री लीगल एड लॉयर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति या सपोर्ट पर्सन की उपस्थिति में बच्चे द्वारा बोले गए कथन को अक्षरशः हूबहू लेखबद्ध करना।
- बच्चों के कथन को ऑडियो-विडियों माध्यम से अभिलिखित करना।
- लैंगिंक हमले से पीड़ित बच्चों का शीघ्रताशीघ्र चिकित्सा परीक्षण कराना तथा उपचार सुनिश्चित करवाना।
- बच्चों को आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराना।
- अपराध के प्रसंज्ञान लेने के 30 दिन के भीतर बच्चे का साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना।
- छोटे बच्चों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करना।
- बच्चों को साक्ष्य/परीक्षण के लिए बार-बार न्यायालय में नहीं बुलाना।
- बच्चों को बयान देने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों से आक्रामक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान नहीं करना।
- बच्चों की उम्र के आधार पर उसके बयानों की उपेक्षा नहीं करना।
- न्यायालय द्वारा बच्चों को विचारण के दौरान बीच-बीच में अन्तराल की अनुमति देना।
- यदि आवश्यक हो, तो परीक्षण/साक्ष्य लेखबद्ध करते समय अनुवादक,

दुभाषिया एवं विशेष शिक्षक की सेवाएं लेना।

- प्रकरण के विचारण के दौरान बच्चे एवं अपराधी को एक-दूसरे के सामने नहीं लाया जाना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को सपोर्ट पर्सन एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सेवाएं की उपलब्धत कराना।
- प्रश्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से बच्चे के समक्ष रखना।
- न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये या एक तरफ दिखाई देने वाले कांच या पर्दे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करते हुए बच्चे के बयान को लेखबद्ध करना।
- न्यायालय द्वारा बच्चों के माता-पिता, संरक्षक या उसके भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में बंद कमरे में सुनवाई करना।
- बालिकाओं से बातचीत करने के लिए महिला अधिवक्ता/कर्मचारी का होना।
- न्यायालय द्वारा बच्चे एवं साथ आने वाले व्यक्ति को आने-जाने का किराया देना।
- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत् पीड़ित बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तरिम अथवा पूर्ण मुआवजा जारी करना।
- अधिवक्ता/न्यायालय कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- न्यायालय परिसर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार/प्रताड़ना नहीं होना सुनिश्चित करना।
- बच्चों एवं उसके परिवार को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विधिक सेवा की गुणवत्ता एवं संतोषजनक स्थिति को जानना।
- बच्चों की शिक्षा के प्रभावित होने को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।
- बच्चों एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के दौरान लिये गए निर्णयों से सूचित करना।
- पीड़ित बच्चों के प्रकरण में बच्चे तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देना।

- बच्चों एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को विधिक विकल्प की जानकारी देना।
- न्यायालय द्वारा अपराध का एक वर्ष की अवधि के भीतर मामला निस्तारित करना।

वातावरण (Environment)

- न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर दैनिक वाद सूची में सुनवाई पर आने वाले बच्चों का नाम प्रदर्शित नहीं होना।
- न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल एड लॉयर की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।
- नोटिस बोर्ड पर अधिवक्ता का नाम, सुनवाई की तारीख एवं निश्चित समय अंकित होना।
- बच्चों से बातचीत करने के लिए एवं बयान लेने के न्यायालय में अलग बाल मैत्री स्थान/कमरा होना।

unicef
unite for children

Antakshari
Foundation

अन्ताक्षरी फाउण्डेशन

मकान नं. 2554/65, जय लाल मुंशी का रास्ता
बोहरा जी का चौक, चांदपोल, जयपुर - 302001
दूरभाष नं. 0141-2311033, 2441474
ई-मेल : antakshari.foundation@yahoo.in
वेबसाइट : www.antaksharifoundation.org